

बामौर

स्थानीय शासन विभाग

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 1979

क्र027 -अठारह-बी-78-—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम,
1961 क्रमांक 37 तन् 1961 की धारा 5 की उपधारा [4] के दण्ड
[क] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, इतद्व-
धारा, मुरैना जिल की मुरैना तहसील में बामनमौर नगर क्षेत्र में समाविष्ट
स्थानीय क्षेत्र को दिनांक 26 जनवरी, 1979 से नगरपालिका के रूप में
घोषित करता है और इसके अतिरिक्त नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित
किये गये अनुसार उक्त क्षेत्र की सीमा में निर्धारित करता है :-

अनुसूची

मुरैना जिल की मुरैना तहसील में बामनमौर ग्राम में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाएँ :-

जिला	तहसील	ग्रामका नाम	क्षेत्र की सीमाएँ
[1]	[2]	[3]	[4]
मुरैना	मुरैना	1-बामनमौर	उत्तर- ग्राम पमाया के तर्ज नं0 23712 से प्रारंभ होकर भूमि नम्बर 413, 410, 406, 406, 401, 400, 399, 387, 383, 385, 384, 383, 455, 456, 457, 288, 269, 272, 273, 251 तथा सड़क पार कर भूमि नं0 23212, 231235, 236, 237, 215, 208, 209, 18, 186, 183, 180, तथा, ग्राम फूलपुर के तर्ज नं0 351 से शुरू होकर भूमि नं0 348,

2-पमाया

343, 341, 340, 231, 234, 236, 238.

3-फूलपुर-नुराबाद

244, 246, तक ।

4-फूलपुर-उर्फ नयागाँव

5-फूलपुर पूर्व —

ग्राम गढीलो ग्राम फूलपुर के तर्ज नं0
246 से प्रारंभ होकर भूमि नं0 281,
282, 238, 290, 292, 293, 294, 299,
333, 408, 432, 423, 444, 43, तथा
फूलपुर उर्फ नयागाँव तर्ज नं0 40213 से
प्रारंभ होकर भूमि नं0 262, 303, 304,
305, 308, 309, 311, 318, 178, 195.

121

111

121

131

141

दक्षिण-उत्तरालिखर तहसील की सीमा [वरजा ग्राम] जयपुर

उर्फ नयागाँव के सर्वे नं 498 से प्रारंभ होकर सर्वे
नं 499, 555, 320, 321, 337, 367, 368, 372, 371,
370, 276, 278, 279, 268, 267, 265, 262, 264,
4021 तथा पूरपुर के सर्वे नं 497 से होकर गा.
बामौर कला के सर्वे प्र 507 से प्रारंभ होकर ग्राम
नं 505, 506, 522, 528, 481, 545, 567, 568,
569, 653 तक पार करके सर्वे नं 667, 668, 678,
681, 682 तक ।

पश्चिम-तर्कन धौ- ग्राम बामौर कला के सर्वे नं 682 से

प्रारंभ होकर सर्वे नं 683, 214, 217, 218, 219,
220, 314, 318, 319, 321, 304, 303, 348, 349,
355, 554, 556, 365, 429, 428, 430, 433, 436, 437,
तथा जैतपुर के मानांक 161 से प्रारंभ होकर ग्राम
नं 162, 163, 164, 165, 166, 179, 177, 178, 189,
203, 100, 71, 78, 24, 21, 20, 18, 17, 13, व 6
ग्राम पमाया के सर्वे नं 429 से प्रारंभ होकर
सर्वे नं 428, 427, 426, 415, 424, 419, 418, 237, 2
तक ।

मध्य प्रदेश के राजमाल के नाम से तथा आदिगा-

नुसार

आनन्द मोहन .

उपनिष .